

~~बनवारी वनाष्ट लडापुर सि/ठ~~

हुकम या कार्यवाही मय लघुहरस्ताकार जज


प्र-पत्र स्वयं

दि. 13/2022

तारीख हुकम

03.11.2022

पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी स्वीकार होकर निर्णित हो चुकी है। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतित नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी को इसी स्तर पर खारिज कर फैसल किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।


(दिलीप सिंह)

सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

